XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला–दमोह

प्रकरण कमांक आर.485–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–7–15	आवेदक की ओर से श्री के.के.द्विवेदी, अभि. उप. । उन्होंने निवेदन किया कि वे इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते । अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

निगरानी 485-I-15 15

रा.पु.प्र.क्र.

पुन.प्रस्तुति दिनांक

राधिका प्रसाद पटैल उम्र साल पिता मिट्ठूलाल पटैल

निवासी ग्राम असलाना तहसील पथरिया जिला दमोह — पुनरीक्षण कर्ता

बनाम

1. बिहारी पटैल उम्र साल पिता छोटापटैल

2. मस्तराम पटैल उम्र साल पिता छोटा पटैल

दोनो निवासी ग्राम चिरौला तहसील पथरिया जिला दमोह

—— उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

श्री ... द्वारा आज दि. 4.3.15 को प्रस्तुत

महोदय,

पुनरीक्षण कर्ता, माननीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया तहसील पथरिया जिला दमोह द्वारा राजस्व अपील प्र0क्र0 553अ/6 वर्ष 2013-14 पक्षकार बिहारी पटैल एवं अन्य विरूद्ध राधिका में पारित आदेश दिनांक 12.02.2015 जिसके द्वारा अपीलार्थी का धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया है, से दुखित एवं पीडित होकर अन्य आधारो के अलावा निम्न आधारो पर अपना यह पुनरीक्षण पेश करता है :-

:/: प्रकरण के तथ्य:/:

प्रकरण के तथ्य संक्षेपमें इस प्रकार है कि पुनरीक्षण कर्ता राधिका प्रसाद का नाम ग्राम चिरौला प.ह.नं.30 तहसील पथरिया जिला दमोह की संशोधन पंजी क्रमांक 28/280 के आधार पर दिनांक 10.06.2011 को दर्ज